

निर्णय

दिनांक 03.07.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 90-क राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद्, राजसमन्द प्रकरण संख्या 14/2014-15 दिनांक 04.05.2017 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रश्नगत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम कांकरोली, पटवार हल्का कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द में कृषि भूमि आराजी नम्बर 570 व 576/1 रकबा क्रमशः 17 बिस्वा एवं 1 बीघा 1 बिस्वा, कुल किता 2, कुल रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि को रेस्पोंडेंट संख्या 2 से 4 ने कृषि से गैर कृषि में परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र प्राधिकृत अधिकारी एवं एवं आयुक्त, नगर परिषद्, राजसमन्द में प्रस्तुत किया। जिस पर अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 90-क की कार्यवाही नहीं किये जाने बाबत आपत्ति पेश की। प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद्, राजसमन्द द्वारा उक्त आराजीयात की भूमि पर अभिधृति अधिकारी निर्वापित करके भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिये उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने का आदेश दिनांक 04.05.2017 को पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा नगर विकास प्रन्थास, उदयपुर से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट एवं वकील रेस्पोंडेंट संख्या-2 से 4 उपस्थित। उभय पक्ष की बहस दिनांक 19.06.2018 को सुनी गई। वकील रेस्पोंडेंट संख्या 1 को निर्णय से पूर्व लिखित बहस पेश करने का अवसर दिया गया। वकील रेस्पोंडेंट संख्या-1 की बहस दिनांक 27.06.2018 को प्राप्त हुई।

विद्वान वकील अपीलान्ट के अपनी बहस में बताया कि रेस्पोंडेंट संख्या 2 से 4 के अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किय कि उक्त आवेदित भूमि अपीलान्ट की सहखातेदारी की भूमि है जो अवैध रूप से आवेदक के नाम दर्ज हो गयी है। इस सम्बन्ध में न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, राजसमन्द के समक्ष वाद व अपील विचाराधीन है। राजस्व रेकार्ड में गलत इन्द्राज हुआ है, जिस हेतु प्रकरण राजस्व मण्डल में विचाराधीन है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट के नाम से भूमि को गलत रूप से उसे सुनवाई का अवसर दिये बगैर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1733 दिनांक 05.02.2010 के विरुद्ध अपीलान्ट ने जिला कलक्टर, राजसमन्द के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी जिसे स्वीकार

कर जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार, राजसमन्द को रिमाण्ड किया। आप न्यायालय में भी अपील प्रस्तुत की गई जिसे जिला कलक्टर राजसमन्द को रिमाण्ड किया गया, इस आदेश के विरुद्ध राजस्व मण्डल में प्रस्तुत अपील विचाराधीन है। भूमि में अपीलान्त का हित निहित है तथा मौके पर काबिज है, अतः धारा 90-क की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। उक्त आपत्ति के बाद भी अपीलान्त को नहीं सुना गया तथा तहसीलदार से मिलीभगत कर वहा से सहमति/आक्षेप का जवाब प्रस्तुत करवा दिया गया। अपीलान्त की आपत्ति का निस्तारण किये बगैर उक्त की गई सम्पूर्ण कार्यवाही विधि के विपरित है। वादग्रस्त भूमि अपीलान्त के पिता सुन्दरलालजी द्वारा दिनांक 14.02.1972 को पंजीकृत विक्रय विलेख से क्रय की गई और उनके नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जिसमें अपीलान्त का हक निहित है। रेस्पोंडेंट संख्या 2 से 4 ने उपरोक्त तथ्यों की जानकारी होते हुए भी गलत एवं अवैध रूप से भूमि अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज करा दी। वादग्रस्त भूमि के संबंध में अपीलान्त द्वारा न्यायालय सिविल जज, कनिष्ठ खण्ड राजसमन्द में प्रकरण संख्या 82/2014 ई.दी. व 92/2014 मु.दी. बअनवान सुरेशचन्द्र बनाम नगर परिषद, राजसमन्द राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, राजसमन्द, तहसीलदार, राजसमन्द के विरुद्ध वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है। उक्त वाद के एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में स्वयं नगर परिषद व राज्य सरकार पक्षकार होते हुए भी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होते हुए भी उक्त आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित करना न केवल तथ्यों एवं विधि के विपरीत है। उपरोक्त परिस्थितियों में अपील अपीलान्त स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने का अनुरोध किया है।

विद्वान वकील रेस्पोंडेंट संख्या 2 व 4 ने बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद, राजसमन्द द्वारा 90-क की कार्यवाही के दौरान समस्त नियमों एवं विधिक प्रक्रियाओं को अक्षरशः पालन किया गया, उसमें कोई चुक भी नहीं हुई है। संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परिक्षण कर आदेश पारित किया गया जिसमें तनिक भी त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, आयुक्त, नगर परिषद, राजसमन्द पारित आदेश दिनांक 04.05.2017 बहाल रखाये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या-1 ने बहस में बताया कि आवेदक द्वारा 90-ए की कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र नियमानुसार प्रस्तुत किया। आवेदित भूमि पर विभिन्न न्यायालयों में चल रहे प्रकरणों के सम्बन्ध में जानकारी लेकर जिससे किसी प्रकार का

स्थगन आदेश नहीं होने से नियमानुसार सभी दस्तावेजों को अवलोकन कर धारा 90-ए में विचाराधीन आदेश दिनांक 04.05.2017 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.03.2016 का अध्ययन कर पारित किया गया। तहसीलदार, राजसमन्द की सहमति रिपोर्ट, राजस्व रेकार्ड, विभागीय स्वीकृति एवं निदेशालय परिषद् के मार्गशन, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.03.2016 के आधार पर धारा 90-ए की कार्यवाही का आदेश नियमानुसार दिनांक 04.05.2017 को जारी किया जो पूर्णतया न्यायोचित है जिससे अपील अपीलान्त निरस्त योग्य है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस मय लिखित बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अखबार में प्रकाशन के उपरान्त अपीलान्त द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत की और रेस्पोंडेंट संख्या-1 को प्रश्नगत आराजीयात के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में प्रस्तुत वाद एवं अपील के सम्बन्ध में अवगत कराया गया और प्रतियां उपलब्ध कराई। अपीलान्त ने विचाराधीन अपील में कथन किया कि उक्त आवेदित भूमि अपीलान्त की सहखातेदारी की भूमि होने से अवैध रूप से आवेदक के नाम दर्ज हो गयी है। इस सम्बन्ध में न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, राजसमन्द के समक्ष वाद व अपील विचाराधीन है। राजस्व रेकार्ड में गलत इन्द्राज हुआ है, जिस हेतु प्रकरण राजस्व मण्डल में विचाराधीन है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्त के नाम से भूमि को गलत रूप से उसे सुनवाई का अवसर दिये बगैर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1733 दिनांक 05.02.2010 के विरुद्ध अपीलान्त ने जिला कलक्टर, राजसमन्द के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी जिसे स्वीकार कर जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार, राजसमन्द को रिमाण्ड किया। आप न्यायालय में भी अपील प्रस्तुत की गई जिसे जिला राजसमन्द को रिमाण्ड किया गया, इस आदेश के विरुद्ध राजस्व मण्डल में प्रस्तुत अपील विचाराधीन है। उपरोक्त तथ्यों से प्रतीत होता है कि निर्णय दिनांक 04.05.2017 पारित किये जाने के समय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिक्षण एवं उपरोक्त तथ्यों पर पूर्णतया विचार किया जाना प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए एवं विभिन्न न्यायालयों में चल रहे वादों की स्थिति पर विचार करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझे है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद्, राजसमन्द का आदेश दिनांक 04.05.2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद्, राजसमन्द को

प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारों को उचित एवं पर्याप्त सूनवाई का अवसर प्रदान कर, दस्तावेजों का परिक्षण एवं विभिन्न न्यायालयों में चल रहे वादों की स्थिति पर विचार करते हुए नियमानुसार नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय दिनांक 03.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर

क्र.सं.	पक्ष	संख्या	दिनांक	मूल्य	विवरण	अवधि	विवरण	अवधि	अवधि	अवधि	अवधि	अवधि	अवधि
10	कोशिका विभाग	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8	विभाग	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6	विभाग	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7	विभाग	109	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
8	विभाग	131	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
9	विभाग	138	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
4	विभाग	388	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
3	विभाग	13	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
5	विभाग	110	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
1	विभाग	285	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33